

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 20 जून, 2016

का.आ. 2151(अ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285 खक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण, सम्यक् तत्परता और सूचना के अनुरक्षण और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बाबत रिपोर्टेबल लेखों की विवरणी से संबंधित मामलों के लिए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम, 114 में खंड (6) में, स्पष्टीकरण में, खंड (घ) में,-
 - (क) उपखंड (ii) में, “खंड (3)”, शब्द, कोष्ठक और संख्या के स्थान पर “खंड (3) जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारिता में अवस्थित नहीं है” शब्द, कोष्ठक और संख्या रखे जाएंगे;
 - (ख) उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(iii) कोई विदहोलडिंग विदेशी भागीदारी या कोई विदहोलडिंग विदेशी न्यास नहीं;”।
3. उक्त नियमों में, नियम 114 ज, -
 - (क) उपनियम (3) में,-
 - (I) खंड (ख) में, उपखंड (i) में, मद घ के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-
“(घ) यूएस रिपोर्टेबल लेखे की दशा में, भारत से बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में अनुरक्षित किसी खाते को निधियां अंतरित करने के लिए कोई स्थायी अनुदेश और अन्य रिपोर्टेबल लेखे की दशा में भारत से बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में अनुरक्षित किसी लेखे को निधियां अंतरित करने के लिए कोई स्थायी अनुदेश (किसी निक्षेपागार लेखे के संबंध में से अन्यथा); या”;
 - (II) खंड (ग) में, उपखंड (ii) में, मद ड. के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-
“(ड.) यूएस रिपोर्टेबल लेखे की दशा में, वर्तमान में प्रभावी निधियों को अंतरित करने के लिए कोई स्थायी अनुदेश और अन्य रिपोर्टेबल लेखे की दशा में वर्तमान में प्रभावी निधियों को अंतरित करने के लिए कोई स्थायी अनुदेश (किसी निक्षेपागार लेखे के संबंध में से अन्यथा);”;
 - (III) खंड (घ) में, उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(ii) किसी यूएस रिपोर्टेबल लेखे की दशा में, जो 30 जून, 2014 को निम्न मूल्य लेखा है, 30 जून, 2016 तक पूरा किया जाएगा और अन्य रिपोर्टेबल लेखे की दशा में, जो 31 दिसंबर, 2015 को उच्च मूल्य लेखा है, 31 दिसंबर, 2016 तक पूरा किया जाएगा;”;

(ख) उपनियम (5) में, खंड (ड.) में, उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) किसी सकल लेखा अंतशेष या मूल्य जो 30 जून, 2014 को (यूस रिपोर्टेबल लेखे की दशा में 250 हजार यूएस डालर के बराबर किसी रकम से अधिक होता है के पूर्व विद्यमान इकाई लेखे का पुनर्विलोकन 30 जून, 2016 तक पूरा किया जाएगा और किसी सकल लेखा अंतशेष या मूल्य जो 31 दिसंबर, 2015 को (अन्य रिपोर्टेबल लेखे की दशा में) 250 हजार यूएस डालर के बराबर किसी रकम से अधिक होता है, के पूर्व विद्यमान इकाई लेखे का पुनर्विलोकन 31 दिसंबर, 2016 तक पूरा किया जाएगा; ” ।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 2 में, 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी, प्ररूप 61ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रपत्र सं. 61ख

[देखें नियम 114 छ का उप-नियम (8)]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 ख क (1) (ट) के तहत रिपोर्ट करने योग्य खाते का विवरण

भाग क : विवरण ब्यौरे

(यह सूचना एक साथ प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के प्रत्येक विवरण के लिए प्रदान की जाए)

क.1 रिपोर्ट करने वाली इकाई का ब्यौरा		
क.1.1	इकाई का नाम	
क.1.2	आईटीडीआरआईएन	
क.1.3	ग्लोबल मध्यवर्ती पहचान संख्या (जीआईआईएन)	
क.1.4	पंजीकरण संख्या	
क.1.5	रिपोर्टिंग इकाई श्रेणी	2वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
क.2 विवरण ब्यौरे		
क.2.1	विवरण का प्रकार	2वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
क.2.2	विवरण संख्या	
क.2.3	मूल विवरण पहचान पत्र	
क.2.4	सुधार के लिए कारण	1 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
क.2.5	विवरण की तारीख	
क.2.6	रिपोर्टिंग अवधि	
क.2.7	रिपोर्ट का प्रकार	1 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
क.2.8	रिपोर्ट की संख्या	
क.3 प्रधान अधिकारी ब्यौरे		
क.3.1	प्रधान अधिकारी का नाम	
क.3.2	प्रधान अधिकारी का पदनाम	
क.3.3	प्रधान अधिकारी का पता	
क.3.4	शहर/नगर	
क.3.5	डाक कोड	

क.3.6	राज्य कोड		2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
क.3.7	देश कोड		2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
क.3.8	टेलीफोन		
क.3.9	मोबाइल		
क.3.10	फैक्स		
क.3.11	ईमेल		

भाग ख : रिपोर्ट ब्यौरे
(यह सूचना रिपोर्ट किए जा रहे प्रत्येक खाते के लिए प्रदान की जाए)

ख.1 खाते के ब्यौरे (प्रतिवेदित किए जा रहे प्रत्येक खाते के लिए प्रदान किया जाना है)		
ख.1.1	रिपोर्ट का क्रम संख्याक	
ख.1.2	मूल रिपोर्ट का क्रम संख्याक	
ख.1.3	खाते का वर्ग	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.4	खाते का प्रकार	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.5	मुद्रा, जिसमें खाता रखा जाता है	
ख.1.6	खाता संख्या	
ख.1.7	खाता संख्या प्रकार	1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.8	खातेधारक का नाम	
ख.1.9	खाता प्रास्थिति	1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.10	खाता उपचार	1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.11	स्वतः प्रमाणन	1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.12	प्रलेखन प्रास्थिति	1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.13	खाते के बंद होने की तारीख, यदि उक्त वर्ष के दौरान बंद हुआ हो	
ख.2 शाखा संबंधी ब्यौरे		
ख.2.1	शाखा संख्या का प्रकार	1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.2.2	शाखा संदर्भ संख्या	
ख.2.3	शाखा का नाम	
ख.2.4	शाखा पता	
ख.2.5	शहर/नगर	
ख.2.6	डाक कोड	
ख.2.7	राज्य कोड	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.2.8	देश कोड	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.2.9	टेलीफोन	
ख.2.10	मोबाइल	
ख.2.11	फैक्स	
ख.2.12	ईमेल	
ख.3 खाता सार		
ख.3.1	रिपोर्ट करने की अवधि के अंत में खाता अति शेष या मूल्य	
ख.3.2	संदत्त या जमा कुल सकल ब्याज	
ख.3.3	संदत्त या जमा कुल सकल लाभांश	
ख.3.4	संपत्ति की बिक्री से सकल आय	
ख.3.5	अन्य सभी संदत्त या जमा आय की कुल सकल राशि	

ख.3.6	जमा कुल सकल राशि	
ख.3.7	विकलित कुल सकल राशि	
ख.4 व्यक्तितगत ब्यौरे (व्यक्तितगत खाताधारक के लिए प्रदान किया जाए)		
ख.4.1	नाम	
ख.4.2	ग्राहक पहचान-पत्र	
ख.4.3	पिता का नाम	
ख.4.4	पति/पत्नी का नाम	
ख.4.5	लिंग	☐ 1 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें (निर्देश देखें)
ख.4.6	पैन	
ख.4.7	आधार संख्या	
ख.4.8	पहचान प्रकार	☐ 1 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.4.9	पहचान संख्या	
ख.4.10	व्यवसाय का प्रकार	☐ 1 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.4.11	व्यवसाय	
ख.4.12	जन्म तारीख	
ख.4.13	राष्ट्रीयता	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.4.14	कर कानून के अनुसार निवास का देश	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.4.15	जन्म स्थान	
ख.4.16	जन्म का देश	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.4.17	टैक्स निवासी देश द्वारा आवंटित कर पहचान संख्या(टिन)	
ख.4.18	टिन जारी करने वाला देश	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.4.19	पता प्रकार	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.4.20	पता	
ख.4.21	शहर/नगर	
ख.4.22	डाक कोड	
ख.4.23	राज्य कोड	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.4.24	देश कोड	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.4.25	मोबाइल /टेलीफोन नंबर	
ख.4.26	अन्य संपर्क नंबर	
ख.4.27	टिप्पणियां	

ख.5 वि धिक इकाई के ब्यौरे (इकाई खाता धारक के लिए प्रदान किया जाए)		
ख.5.1	इकाई का नाम	
ख.5.2	ग्राहक की पहचान	
ख.5.3	अमेरिका रिपोर्टयोग्य व्यक्ति के लिए खाताधारक प्रकार	☐ 2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.5.4	अन्य रिपोर्टयोग्य व्यक्ति के लिए खाताधारक प्रकार	☐ 2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें

ख.5.5	इकाई के गठन का प्रकार	1 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.5.6	निगमन की तारीख	
ख.5.7	कारबार की प्रकृति	
ख.5.8	पैन	
ख.5.9	पहचान प्रकार	1 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.5.10	पहचान संख्याक	
ख.5.11	पहचान पत्र जारी करने वाला देश	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.5.12	निगमन का स्थान	
ख.5.13	निगमन का देश	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.5.14	कर विधि के अनुसार निवास का देश	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.5.15	टैक्स निवासी देश से आवंटित कर पहचान संख्या(टिन)	
ख.5.16	टिन जारी करने वाला देश	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.5.17	पता प्रकार	1 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.5.18	पता	
ख.5.19	शहर/कस्बा	
ख.5.20	डाक कोड	
ख.5.21	राज्य कोड	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.5.22	देश कोड	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.5.23	मोबाइल /टेलीफोन नंबर	
ख.5.24	अन्य संपर्क नंबर	
ख.5.25	टिप्पणियां	

ख.6 नियंत्रक व्यक्ति के ब्यौरे (इकाई के प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के लिए दिए जाने हैं)		
ख.6.1	नियंत्रक व्यक्ति का प्रकार	3वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.6.2	नाम	
ख.6.3	ग्राहक की पहचान	
ख.6.4	पिता का नाम	
ख.6.5	पति/पत्नी का नाम	
ख.6.6	लिंग	वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.6.7	पैन	
ख.6.8	आधार संख्या	
ख.6.9	पहचान प्रकार	वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.6.10	पहचान संख्या	
ख.6.11	व्यवसाय का प्रकार	वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.6.12	व्यवसाय	
ख.6.13	जन्म की तारीख	
ख.6.14	राष्ट्रीयता	2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें

ख.6.15	कर विधि के अनुसार निवास का देश		2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.6.16	जन्म स्थान		
ख.6.17	जन्म का देश		2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.6.18	कर निवासी देश से आवंटित कर पहचान संख्या(टिन)		
ख.6.19	टिन जारी करने वाला देश		2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.6.20	पता प्रकार		2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.6.21	पता		
ख.6.22	शहर/नगर		
ख.6.23	डाक कोड		
ख.6.24	राज्य कोड		2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.6.25	देश कोड		2 वर्ण कोड अंतःस्थापित करें
ख.6.26	मोबाइल /टेलीफोन नंबर		
ख.6.27	अन्य संपर्क नंबर		
ख.6.28	टिप्पणियां "		

[अधिसूचना सं. 48/2016][फा.सं. 142/6/2016 टीपीएल]

(डा. ठाकुर सिंह मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण- मूल नियम अधिसूचना सं. 969 (अ.) तारीख 26, मार्च 1962 को प्रकाशित किए गए थे जिसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं 1949 (अ.), तारीख 02.06.2016 द्वारा किया गया ।